असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2020

से कृषकों के ही ईखों को लिया जा रहा है और वहां पर किसी तरह का व्यवधान नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय,माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि एक रेवेन्यू विलेज में 2000 फीट पर, 1 किलो मीटर की दूरी पर क्रय केन्द्र लगा हुआ है । जहां गन्ना की अधिकता है, जहां गन्ने का ज्यादा उत्पादन होता है, सरकार उसका सर्वे कराती है और तब सरकार इस पर निर्णय करती है । सरकार ने निर्णय लिया कि यहां पथ क्रय केन्द्र जरूरी है । पहले से भी यहां पथ क्रय केन्द्र स्थापित होता रहा है 25-30 वर्षों से । माननीय मंत्री यह बतावें कि वहां के किसानों का डाटा इनके पास है कि ये-ये किसान इस पथ क्रय केन्द्र से संबंधित है।

अध्यक्ष : सचीन्द्र जी । आप जितनी सूचना दे रहे हैं, सरकार को दे दीजिये, सरकार उसको दिखवा लेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, हम सूचना नही दे रहे हैं सरकार को । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इनके पास वैसे किसानों की सूची है ? वे किसान जो जिस पथ क्रय से टैग थे, जहां के लिये पथ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये, का गन्ना कहां जा रहा है ? माननीय मंत्री हमको बतावें ।

श्री श्याम रजक,मंत्री : महोदय, प्रश्न में यह नहीं था । माननीय सदस्य की इच्छा है, हम तुरंत इनको यह भिजवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे क्या ?

अध्यक्ष : तुरंत जांच करा देंगे, जितना जल्दी दे दीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, कौन चीज का जांच करा देंगे ? सरकार ने जो चिट्ठी निकाली है, इन्हीं की चिट्ठी है न । इस पर क्या कार्रवाई किये ? इनके आदेश की अवहेलना हो रही है, एक चीनी मिल वाला इनकी बात नहीं समझ रहा है । सरकार की बात नहीं समझ रहा है । इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मेरे जिला से संबंधित मैटर है और जिन किसानों की बात माननीय सदस्य उठाये हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं । महोदय, पुराने दो-दो चीनी मिलें, जो चल रही थीं, वे बंद पड़ी हुई हैं । हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं, इन किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुये इन दोनों चीनी मिलों को सरकार खोलवाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 554(श्री यदुवंश कुमार यादव)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर ऑन लाईन दिया हुआ है । आप पढ़े हैं ? खैर, माननीय मंत्री जी, आप उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबांदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, उसकी घेराबंदी तो कराया जा सकती है न ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, यह एक अवधारणा है लेकिन हर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की बात नीति मे अनिवार्यता नहीं है । प्राथमिकता सूची वही होती है, डी0एम0, एस0पी0 के स्तर पर कमिटी है, जहां विवाद की संभावना रहती है, उसको प्राथमिकता सूची में डाला जाता है । विधायक योजना से भी कराये जाने का है नियम ।

टर्न-4/अंजनी/02.03.2020

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि सेंसीटिवनेस की प्राथमिकता सूची बनायी गयी है । मगर विधायकों का जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, उससे पूर्व में कराने का था तो कम-से-कम मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में यह प्रावधान कर दें कि जो सेंसीटिव कब्रिस्तान नहीं है, उसको माननीय विधायक अपने निधि से करायें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह तो योजना विभाग से संबंधित है, गृह विभाग से इसका संबंध नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-555(श्रीमती प्रेमा चौधरी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-556(श्री ललित कुमार यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि नये मोटर व्हेकल अधिनियम,2019 के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले राज्यवासियों से विधि के अनुसार दंड की राशि वसूल किये गये हैं ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- अस्वीकारात्मक है ।

नये मोटर व्हेकल अधिनियम,2019 के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाली आम जनता से वसूल की गयी जुर्माने की राशि वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है ।